::राजस्थान सरकार::
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा (मु० धम्बोला) जिला–डूँगरपुर
Email-sdmsimalwara@gmail.com
Tel-02964-241025

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीमलवाडा बनाम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 27 24–06–2025

प्रकरण संख्या : 48/2025

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, तहसील सीमलवाड़ा द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम लांबापिपला, पटवार हल्का मेवड़ा के आराजी खन० 2263 में से रकबा 0.0081 हैक्टे०, ख०न० 2262 में से 0.0121 हैक्टे०, ख0न० 2324 में से 0.0081 हैक्टे०. ख0न0 2332 में से 0.0145 हैक्टे० भूमि पर मौके पर चालू कदीमी ग्रेवल रोड रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में रास्ता ख0न0 2263, 2262 2324 व 2332 तक जाना बताया है। तहसीलदार, तहसील सीमलवाड़ा के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी रिपोर्ट, फर्द रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये गये है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी ख.नं. 2263 में से 0.0081 हैक्ट०, ख०न० 2262 में से 0.0121 हैक्ट०, ख०न० 2324 में से 0.0081 हैक्ट०, एवं ख0न0 2332 में से 0.0145 हैक्ट० भूमि में मौके पर पंचायत द्वारा निर्मित ग्रेवल रास्ता चालू है तथा प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक एवं प्राथमिक विद्यालय के आवागमन हेतु रास्ता उपयोग में आ रहा है। तथा उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के लिये पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार के द्वारा अभिशंषा की गई है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं राज० भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में भूमि को राजस्व रिकार्ड में किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

निर्णय से पूर्व संबंधित विधि प्रावधानों को देखा जाना आवश्यक है। भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 जो कि राजस्य रिकार्ड के नक्शा एवं सर्वेक्षण पुस्तिका के संधारण से संबंधित है, में अभिलिखित किया गया है कि:– **Maintenance of Map and Field Book-** After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Record Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each

27/06/2025
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field bood.

इसी प्रकार भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 132 का भी अवलोकन किया गया। उक्त धारा जो कि वार्षिक रजिस्टर संधारण से संबंधित है में अभिलिखित किया गया है कि:– **Annual Registers** –(1) The Land Records Officers shall maintain the record of rights and for that purpose shall, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, cause to be prepared a set or an amended set, as the case may be, of the registers enumerated in Section 114 and the registers so prepared shall be called the annual registers- इस प्रकार भू–राज, अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 में उपलब्ध प्रावधानों अर्थात Maintenance of Map and Field Book (नक्शा ट्रेस) एवं Annual Registers& the record of rights (जमाबंदी) में मौके की स्थिति के अनुरूप राजस्व रिकार्ड यथा नक्शा ट्रेस एवं रिकार्डस ऑफ राईटस अर्थात जमाबंदी में परिवर्तन हेतु Land record officer अर्थात उपखण्ड अधिकारी को शक्तियाँ दी गयी है।

निर्णय पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की जानकारी बाबत तहसीलदार जो कि भूमि धाराक होता है, से प्राप्त रिपोर्ट पर चिंतन, मनन किया एवं अवलोकन पश्चात यह न्यायिक चितंन, मनन एवं निष्कर्ष हुआ कि उक्त रास्ते भूमिधारक तहसीलदार द्वारा देखा जाकर रिपोर्ट की है कि उक्त खसरा नंबरान से कदीमी रास्ता सार्वजनिक आवागमन बाबत उपयोग एवं उपभोग में लिया जा रहा है तथा उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से भू०राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132 जिसके तहत भू–अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को उक्त आशय के संशोधन की शक्तियाँ प्रदत्त की गयी है, का उपयोग करते हुये तहसीलदार रिपोर्ट में उल्लेखित खसरा नंबरान, मौका रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक उपयोग, उपभोग कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत तहसीलदार को आदेशित करना न्यायोचित समझते है। इस स्तर पर यह भी उल्लेखित किया जाता है कि संबंधित काश्तकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उक्त खसरा नंबर से ग्रामवासी एवं विद्यालय द्वारा कदीमी रास्ते का आवागमन बाबत उपयोग में काफी वर्षो से लिया जा रहा है तथा उक्त रास्ते के प्रचलन की संबंधित काश्तकारों को प्रारम्भ से ही जानकारी रही होगी। अतः उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा–ट्रेस में अंकन मात्र से उनके हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

27/06/2025
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

–: आदेश :–

अतः विधि के प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार, तहसील सीमलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम लांबापिपला, पटवार हल्का मेवड़ा के ख.नं. 2263 में से 0.0081 हैक्ट०, ख०न० 2262 में से 0.0121 हैक्ट०, ख०न० 2324 में से 0.0081 हैक्ट०, एवं ख0न0 2332 में से 0.0145 हैक्ट० भूमि को राजस्य रिकार्ड में किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावें। उक्त आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेगा–

1. राजकीय भूमि पर स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप खसरा नंबर सहित दर्ज किया जायेगा।

2. निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी रास्ता सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परंतु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नंबर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जायेगा।

3. यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद की कार्यवाही की जायें।

4. यदि किसी प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि/खसरा नम्बरान् का उक्त प्रस्ताव/आदेश में अंकन हो गया हो तो राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही करें।

तहसीलदार, तहसील सीमलवाड़ा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे एवं दर्ज नंबर से कम हो।

27/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner